



1598

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.8(41)नविवि/2019

जयपुर, दिनांक: 28 DEC 2020


आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.09.2020 द्वारा राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवंटित ई.डब्ल्यू.एस/एल.आई.जी/एम.आई.जी-ए के आवासों की बकाया किश्तों की राशि आवंटियों द्वारा एक मुश्त दिनांक 31.12.2020 तक जमा कराने पर ब्याज एवं शास्ति में 100 प्रतिशत छूट तथा एम.आई.जी-बी/एच.आई.जी के आवासों की बकाया किश्तों की राशि एक मुश्त दिनांक 31.12.2020 तक जमा कराने पर ब्याज एवं शास्ति में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई थी।

उपरोक्तानुसार छूट का लाभ लेने हेतु बकाया किश्तों की राशि एक मुश्त जमा कराने की अन्तिम तिथि 31.03.2021 तक बढ़ाई जाती है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की/आज्ञा से,

  
(मन्वीर गोपाल)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. आयुक्त/सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को नगरीय विकास विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
5. रक्षित पत्रावली।

11  
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

## राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : वसूली/2020-21/71/542

दिनांक : 31/12/2020

### -:: कार्यालय आदेश ::-

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर से प्राप्त आदेश क्रमांक प.8(41)नविवि/2019 दिनांक 28.12.2020 में दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

  
वित्तीय सलाहकार

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. उप शासन सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव- मुख्य अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. सचिव/वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. अति. मुख्य अभियन्ता प्रथम/द्वितीय/तृतीय P&M, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. उप वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. वरिष्ठ लेखाधिकारी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. उप आवासन आयुक्त वृत्त ..... राज. आवा. मं., .....
11. आवासीय अभियन्ता, खण्ड ..... राज. आवा. मं., .....
12. जन सम्पर्क अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
13. लेखाधिकारी (वृत्त) ..... राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
14. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त को मण्डल की वेबसाईट पर डलवाये व सभी को मेल करे।
15. रक्षित पत्रावली।

  
वित्तीय सलाहकार